दुग्ध नीति के क्रियान्वयन के लिए कई अहम बदलाव

मुख्य सचिव की व्यस्तता से अब नहीं रुकेगा काम, कई कमेटियों का गठन, जिम्मेदारी भी तय

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। राज्य सरकार ने यूपी दुग्ध नीति-2018 के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नीति में संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद प्रमुख सचिव दुग्ध विकास सुधीर गर्ग ने इससे संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

जारी निर्देशों के मुताबिक मुख्य सचिव के व्यस्त होने पर राज्य स्तरीय इंपावर्ड समिति की कार्यवाही अब नहीं अटकेगी। तय किया गया है कि यदि मुख्य सचिव की व्यस्तता होती है या वे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो कृषि उत्पादन आयुक्त समिति की अध्यक्षता कर आवश्यक निर्णय लेंगे। विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव इसके सदस्य व प्रमुख सचिव दुग्ध विकास संयोजक सचिव होंगे। उद्योग संघों के प्रतिनिधि इसके आमंत्रित सदस्य होंगे।

मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति मंडलायुक्त की अध्यक्षता में होगी। इसमें मंडल के सभी डीएम व सीडीओ के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे। मंडलीय

दुग्धशाला विकास अधिकारी कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 की तरह दुग्ध नीति की समीक्षा के लिए मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति में 9 सदस्यों को व्यापक गुणवत्तापरक अनुश्रवण के लिए शामिल किया गया है। नीति के अंतर्गत पूंजी निवेश के प्रस्तावों का कार्यान्वयन उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के जरिए होगा। इसी तरह डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति में संबंधित विभागों के अधिकारी होंगे। जिला उद्यान तथा खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी इसमें पदेन सदस्य होंगे। उप दुग्धशाला विकास अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे।

नीति के तहत प्राप्त आवेदनों व परियोजना प्रस्तावों को परीक्षण, मूल्यांकन, स्वीकृति तथा धनावंटन के लिए उप दुग्धशाला विकास अधिकारी मंडलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी को भेजेगा। मंडल से मुख्यालय को भेजा जाएगा। मुख्यालय पर इन प्रस्तावों पर कार्यवाही के लिए दुग्ध आयुक्त की अध्यक्षता में प्री-अप्रेजल समिति होगी। यहां से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण प्रमुख सचिव दुग्ध विकास की अध्यक्षता वाली मूल्यांकन व परीक्षण समिति करेगी। इन समिति से संस्तुत प्रस्तावों पर स्वीकृति व धनावंटन की कार्यवाही राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति करेगी।